



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]
No. 656]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्येष्ठ 11, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

पर्यावरण और बन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

का.आ. 859(अ)।—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और बन मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 27 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1621(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) क्रम सं. 2 और 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

2. संयुक्त सचिव, सदस्य पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सलाहकार (जल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्य संभालने वाले) सदस्य पर्यावरण और बन मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (पी ए-1), सदस्य पर्यावरण और बन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव सदस्य"; कोयला और खान मंत्रालय, नई दिल्ली।

(ii) क्रम सं. 7 से 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

7. अध्यक्ष, सदस्य त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगरतला।
8. अध्यक्ष, सदस्य उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भुवनेश्वर।
9. अध्यक्ष, सदस्य गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अहमदाबाद।
10. महापौर, सदस्य हैदराबाद नगर निगम, हैदराबाद।
11. अध्यक्ष, सदस्य"। करेल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरुवनंतपुरम।

(iii) क्रम सं. 17 'और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

17. श्री बी. सेनगुप्ता, सदस्य निदेशक सचिव"।

[सं. क्यू. 15014/2/2003-सीपीडब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करने वाली पूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्या का.आ. 1621(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2007

S.O. 859(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Sub-section (6) of Section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1621(E), dated 27th September, 2006, namely :—

In the said notification :—

(i) for serial numbers 2 to 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

- ‘2. Joint Secretary, Member
Ministry of Petroleum and Natural Gas,
New Delhi.
- 3. Adviser (Handling Water Quality, Member
Monitoring work)
Ministry of Environment and Forests,
New Delhi.
- 4. Joint Secretary, (PA-I), Member
Ministry of Environment and Forests,
New Delhi.
- 5. Joint Secretary, Member”;
Ministry of Coal and Mines,
New Delhi.

(ii) for serial numbers 7 to 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

- “7. Chairman, Member
Tripura Pollution Control Board,
Agartala.
- 8. Chairman, Member
Orissa State Pollution Control Board,
Bhubaneswar.
- 9. Chairman, Member
Gujarat State Pollution Control Board,
Ahmedabad.
- 10. Mayor, Member
Municipal Corporation of Hyderabad,
Hyderabad.
- 11. Chairman, Member”.
Kerala State Pollution Control Board,
Thiruvananthapuram.

(iii) for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

- “17. Sh. B. Sengupta, Member
Director Secretary”.

[No. Q. 15014/2/2003-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note : The Principal notification constituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1621(E), dated the 27th September, 2006.